ऑन लाईन नं. GCMS 2021/161

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 20/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री अमीर खां पुत्र श्री खलील अहमद, निवासी वार्ड नं. 16, 24 एएससी, घड़साना

–विक्रेता एवं मालिक–

मैसर्स :– कोसरा डेयरी, 33 ए, बालाजी, आईस फैक्ट्री, रिको एरिया, सादुलशहर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 18.10.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.11.2020 को 02.00 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ विक्रेता एवं भागीदार श्री अमीर खां पुत्र श्री खलील अहमद, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नं. 16, 24 एएससी, घड़साना, मैसर्स कोसर डेयरी, 33 ए बालाजी, आईस फैक्ट्री, रिको एरिया, सादुलशहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/ संस्थान पर मालिक श्री अमीर खां पुत्र श्री खलील अहमद कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में **गाय का दूध** टेंक कके अंदर लगभग 1000 लि. दूध गाय का होना बताया। शुद्वता की जांच हेतु 2 लीटर दूध नमूने वास्ते लिया। विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **गाय का दूध** टैंक के अंदर लगभग1000 ली. दूध गाय का होना बताया। 2 ली. नमूने वास्ते लिया, जिसके पेटे 60/–रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता व स्वयं के हस्ताक्षर कर, रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा गाय का दूध 2 लीटर 1000 लीटर दूध में से हिला–हिलाकर नमूने वास्ते खाद्य पदार्थ गाय के दूध के नमूने लिए, जिसको एकरूप करके चार बोतलों में प्रत्येक में बराबर–2 मात्रा में भरकर परीक्षक बतौर फोरमलिन की 40–40 बूंदे मिलाकर एयरटाईट ढक्कन से बंद कर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1113** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1113** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के–1113 गाय का दूध** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढ़ाकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, तो उन्होने पढ़कर, सुनकर, समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किए एवं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. कम सी.एम. एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/275/एक्ट/2022/271 दिनांक 19.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1113 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री अमीर खां पुत्र श्री खलील अहमद, निवासी वार्ड नं. 16, 24 एएससी, घड़साना** द्वारा अमानक स्तर **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 17.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया है कि आपका पत्र क्रमांक रीडर/24/1231 दिनांकित 19.07.2024 को जरिए व्हाटस्प को दिनांक 13.08.2024 को प्राप्त हुआ, जिसमें आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के विरूद्व प्रार्थी के पास पाया जाने वाला गाय का दूध पतला होने के कारण अमानक सबस्टेन्डेड होने की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी के पास कोसर दूध डेयरी थी तथा अपनी डेयरी से उक्त दूध टैंकर के माध्यम से कोटकपूरा व अमृतसर पाउडर प्लांट में जाता था। इस कारण प्रार्थी के पास दूध के टेंकर में रोजाना लोडिंग होती

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

थी। इस कारण प्रार्थी के पास टेंकर की लॉडिंग व सफाई होती थी तथा प्रार्थी द्वारा गाय का दूध टेंकर में भरा जाता तथा जिस दिन सैंपल लिया गया, उस दिन टेंकर की लॉडिंग होने के बाद बचा हुआ साईलों का दूध जिसका सैंपल लिया गया। उक्त दूध जो टेंकर की लाईन में बच जाता था, उसको साफ करने के लिए प्रार्थी द्वारा अगर 150 लीटर दूध है तो करीब 100 लीटर पानी डालना पड़ता था जिससे उक्त लाईन साफ होती थी। आला अधिकारियों द्वारा जिस दिन सैंपल लिए वह सैंपल टेंकर लोड होने के बाद बचे हुए दूध का संपेल लिया गया था इस कारण उक्त दूध पतला होने के कारण अमानक सबस्टेडेंड की कार्यवाही की गई जबकि उक्त दूध प्रार्थी के पास बेचने के लिए नहीं था ना ही कोई काम में लेने के लिए था। जिस दूध का आपके आला अधिकारियों द्वारा सैंपल लिया गया जो कतई सही नहीं था और रही बात दूध के सैंपल की तो गाय का दूध वैसे ही पतला होता है तथा टैंकर की सफाई में बचा दूध होने के कारण अमानक सबस्टेडेंड की कार्यवाही की गई। जो कतई न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थी का जवाब नोटिस स्वीकार कर प्रार्थी के विरूद्ध की जाने वाही कार्यवाही को यथास्थिति ड्रोप किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का **सैम्पल के–1113** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/275/एक्ट/20200/271 दिनांक 19.11.2020 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्त अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पास कोसर दूध डेयरी थी तथा अपनी डेयरी से उक्त दूध टैंकर के माध्यम से कोटकपूरा व अमृतसर पाउडर प्लांट में जाता था। इस कारण प्रार्थी के पास दूध के टेंकर में रोजाना लोडिंग होती थी। इस कारण प्रार्थी के पास टेंकर की लॉडिंग व सफाई होती थी तथा प्रार्थी द्वारा गाय का दूध टेंकर में भरा जाता तथा जिस दिन सैंपल लिया गया, उस दिन टेंकर की लॉडिंग होने के बाद बचा हुआ साईलों का दूध जिसका सैंपल लिया गया। उक्त दूध जो टेंकर की लाईन में बच जाता था, उसको साफ करने के लिए प्रार्थी द्वारा अगर 150 लीटर दूध है तो करीब 100 लीटर पानी डालना पड़ता था जिससे उक्त लाईन साफ होती थी। आला अधिकारियों द्वारा जिस दिन सैंपल लिए वह सैंपल टेंकर लोड होने के बाद बचे हुए दूध का संपेल लिया गया था इस कारण उक्त दूध पतला होने के कारण अमानक सबस्टेडेंड की कार्यवाही की गई जबकि उक्त दूध प्रार्थी के पास बेचने के लिए नहीं था ना ही कोई काम में लेने के लिए था। जिस दूध का आपके आला अधिकारियों द्वारा सैंपल लिया गया जो कतई सही नहीं था और रही बात दूध के सैंप्ल की तो गाय का दूध वैसे ही पतला होता है तथा टैंकर की सफाई में बचा दूध होने के कारण अमानक सबस्टेडेंड की कार्यवाही की गई। जो कतई न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थी का जवाब नोटिस स्वीकार कर प्रार्थी के विरूद्ध की जाने वाही कार्यवाही को यथास्थिति ड्रोप किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Cow Milk"**Code No and Sr. No. K-1213 of **Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not comform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Reguklations, 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **अमीर खां पुत्र श्री खलील अहमद** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **अमीर खां पुत्र श्री खलील अहमद** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000–00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)